कायालय निदशक,माध्यामेक शिक्षा,राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

एस.बी. सिविल याचिका सख्या 11702/18 सजना बनाम सरकार व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.18 के कम में याचिकार्थी श्रीमती सजना देवी प्रधानाध्यापक द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन जिसमें इन्होने प्रधानाचार्य (राउमावि समकक्ष) पद पर वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 की डीपीसी में अपने से कनिष्ठ कार्मिकों के पदोन्नत होने के अनुरूप स्वयं को प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत करने की मांग की है।

याचिकार्थी श्रीमती सजना देवी ने अपने अभ्यावेदन में स्वयं से कनिष्ठ श्री राजवीर, श्री महावीर प्रसाद, श्री राजेश कायल को वर्ष 2017–18 की रिक्तियों के विरूद्ध प्रधानाचार्य उमावि समकक्ष पद पर चयनित/पदोन्नत के समान (याचिका सख्या 11647/2016 कृष्ण मोहन गर्ग बनाम सरकार में प्रदत्त निर्देशों का हवाला देते हुए) स्वयं की प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति की मांग की है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में याचिकार्थी से प्राप्त अभ्यावेदन का एस.बी. सिविल याचिका सख्या 11647/16 कृष्ण मोहन गर्ग बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करने के निर्देश जारी किये गये।

याचिकार्थी से प्राप्त अभ्यावेदन का माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में अभिलेखानुसार गहन मनन, परीक्षण किया गया। याचिकार्थी श्रीमती सजना देवी ने राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा सीधी भर्ती से प्रधानाध्यापक (माध्यमिक विद्यालय) के पद पर चयनोपरांत विभाग में दिनांक 01.07.15 को कार्यभार ग्रहण किया। प्रधानाध्यापक (माध्यमिक विद्यालय) पद पर 3 वर्ष का अनुभव नही होने के कारण विभाग द्वारा इन्हे प्रधानाचार्य राउमावि समकक्ष पद वर्ष 2017–18 व 2018–19 की डीपीसी से चयनित कर पदोन्नत नहीं किया गया।

याचिकार्थी से कनिष्ठ श्री राजवीर, श्री महावीर प्रसाद एवं श्री राजेश कायल का प्रधानाचार्य राउमावि–समकक्ष पद पर वर्ष 2017–18 की डीपीसी से चयन विभाग के आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/संस्था/बी–3/ रिव्यू डीपीसी/प्रधानाचार्य/2001–02 से 2017–18 दिनांक 26.03.18 के द्वारा निरस्त किया जा चुका है।

याचिकार्थी श्रीमती सजना देवी द्वारा प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति हेतु की गयी मांग नियमानुसार उचित नहीं है। अतः अभ्यावेदन एतदद्वारा खारिज करते हुए निस्तारित किया जाता है। सभी सम्बन्धित सूचित हो।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमाक शिविरा/मा/सस्था/कोके/बी–III /या0–11702/सजना देवी/18/113 दिनांकः– 15.01.2019
प्रतिलिपि सुचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त विधि परामर्शी, शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रॅमर, कम्प्यूंटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) ।
6. सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
7. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय) ।
8. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शि.अ./नियंत्रण अधिकारी।
9. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
10. श्रीमती सजना देवी पुत्री श्री नोलाराम, पत्नि स्व. श्री प्रेमचंद मूंड, निवासी–सुरपा मूंड की ढाणी, जाखल, तह0–नवलगढ़, जिला–झुंझुनू (रजिस्टर्ड)
11. निजी पजिका/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)